एचडीएफसी बैंक के साथ पॉज़िटिव पे

अब पॉज़िटिव पे के साथ अपने चेक भुगतान को सुरक्षित करें

यह सुविधा ग्राहकों को चेक भुगतान में सुरक्षा प्रदान करने और चेक लीफ़ से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए है. एचडीएफसी बैंक ने रु.50,000 और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉज़िटिव पे की व्यवस्था शुरू की है. पॉज़िटिव पे के ज़रिए, चेक जारी करने के समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आहर्ता (ड्रॉवी) बैंक द्वारा इन चेक का भुगतान किया जाएगा.

ग्राहक को चेक को क्लियरिंग में प्रस्तुत करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले जारी किए गए चेक के बारे में निम्नलिखित विवरण साझा करना होगा.

जब आदाता (पेयी) सीटीएस क्लियरिंग के माध्यम से चेक को वसूली के लिए जमा करता है, तो विवरण (खाता संख्या/चेक संख्या और चेक राशि) को मान्य किया जाएगा जो पॉज़िटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान किए गए हैं.

कृपया सीटीएस के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

चरण 1: चेक जारी करने वाले (आहर्ता/ड्रॉवर) को चेक लिखते समय चेक के नीचे दिए गए विशिष्ट विवरण को नीचे दिए गए नमूना ईमेल प्रारूप में संलग्न एक्सेल शीट के साथ जारी किए गए चेक की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत करना होगा.

* खाता संख्या (ग्राहक का खाता नंबर)
* चेक नंबर
* चेक का दिनांक (चेक जारी करने का दिनांक)
* चेक की राशि (राशि को अल्पविराम से अलग नहीं किया जाना चाहिए)
* लाभार्थी का नाम (खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक का लाभार्थी)

विवरण बैंक की निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भेजे जाने चाहिए:

* Positivepaynorth@hdfccank.com

उत्तरी क्षेत्रों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली के ग्राहकों के लिए.

* Positivepaysouth@hdfccank.com

दक्षिणी क्षेत्रों जैसे – तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ग्राहकों के लिए.

* Positivepaywest@hdfccank.com

पूर्वी क्षेत्रों जैसे – पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के ग्राहकों के लिए.

* Positivepaywest@hdfccank.com

पश्चिमी क्षेत्रों जैसे – महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ के ग्राहकों के लिए.

(कृपया ध्यान दें: ऊपर बताई गई ईमेल आईडी क्षेत्रीय ईमेल आईडी हैं और इसलिए कृपया ईमेल को अपने स्थान के अनुसार संबंधित ईमेल आईडी पर ही भेजें.)

चरण 2: आदाता के पॉजिटिव पे निवेदन को एक ऑटो–अक्नॉलेजमेंट ईमेल के माध्यम से स्वीकृति दी जाएगी.

चरण 3: चेक जारीकर्ता (आरणकर्ता) की पंजीकृत ईमेल आईडी से ईमेल प्राप्त होने पर, बैंक विवरणों को क्रॉस वेरीफाई करेगा.

चरण 4: बैंक पॉजिटिव पे अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करेगा और स्वीकृति या अस्वीकृति की पुष्टि चेक जारीकर्ता (आहरणकर्ता) को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी.

चरण 5: यदि डेटा विसंगति के कारण अस्वीकृति होती है, तो जारीकर्ता (आहरणकर्ता) को चेक का सही विवरण देते हुए ईमेल के माध्यम से एक नया पॉजिटिव पे अनुरोध शुरू करना होगा. अपंजीकृत ईमेल के कारण अस्वीकृति के मामले में, ग्राहक को केवल अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से नया अनुरोध शुरू करना होगा.

ध्यान दें: यह सेवा केवल रु.50,000/–और उससे अधिक के सीटीएस समाशोधन के तहत प्राप्त चेक के लिए लागू है.

* पॉजिटिव पे 01 जनवरी, 2021 से लागू किया गया है.
* वर्तमान में पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) की पुष्टि ग्राहक पंजीकृत ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं
* ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में डेटा जमा करें
* कृपया भुगतानकर्ता (लाभार्थी) का नाम विवरण ठीक उसी तरह प्रदान करना सुनिश्चित करें, जैसा कि जारी किए गए चेक पर दर्ज किया गया है.
* भुगतानकर्ता के नाम में a-z,A-Z,0-9,_ (अंडरस्कोर), रिक्त स्थान,'(एपोस्ट्रोफी), अल्पविराम, पूर्ण विराम के अलावा किसी भी विशेष वर्ण की अनुमति नहीं होगी.

==

ग्राहकों द्वारा बैंक को पॉजिटिव पे अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले नमूना ईमेल प्रारूप को महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ संलग्न किया गया है.

Validity : 31st Mar '26
Ver : BN133_V1.6_April '25

HDFC BANK
INDIA'S No.1 BANK